राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.6(4)वित्त/नियम/2006 पार्ट–V   जयपुर, दिनांक : 18 JUL 2006

आदेश

विषयः राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 – Stents पर व्यय होने वाली राशि के पुनर्भरण हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 में सरकारी कर्मचारी द्वारा कराये गये ऑपरेशन इत्यादि के दौरान Stents पर होने वाले व्यय के पुनर्भरण का प्रावधान नहीं है। इस कारण से राज्य सरकार के पास ऐसे प्रकरणों में व्यय राशि के पुनर्भरण हेतु शिथिलीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं एवं सभी प्रकरणों में शिथिलीकरण प्रदान कर एक वित्तीय सीमा तक पुनर्भरण की सहमति प्रदान की जाती रही है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सामान्य शिथिलीकरण कर आदेश देती है कि प्राधिकृत चिकित्सक के परामर्श पर राज्य के सरकारी अस्पताल अथवा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में उपचार के दौरान रोगी के शरीर में Stents प्रत्यारोपित किये जाने पर व्यय की गई राशि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रति Stents रु. 40,000/– (चालीस हजार रुपये) तथा एक से अधिक Stents लगाने पर अधिकतम रु. 75,000/– (पिचेत्तर हजार रुपये) की सीमा तक पुनर्भरण योग्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

17/7/2006

(सुभाष गर्ग)

शासन सचिव – तृतीय, वित्त

...ER HOUSE, AJMER

.../CAO /AAO (F & R)/ F.1(26) /D. 2307 Dated 18.11.06

ORDER No. - 196

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer( ), AVVNL, ________.
2. The Dy. Chief Engineer (RPPC), AVVNL, Jaipur.
3. The Financial Advisor, AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Superintending Engineer ( ), AVVNL, ____________.
6. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
8. The Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, ____________.
9. The Dy. Controller of Stores, AVVNL, Ajmer.
10. The Dy. Director of Personnel, ( ), AVVNL, ____________.
11. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/BUDGET), AVVNL, ________.
12. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, ________
13. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
14. The Asstt. Accounts Officer (O.E. & S./CPC), AVVNL, Ajmer.
15. The P.A. to Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.

By Order,

(S.M. MATHUR)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
AVVNL, AJMER